

Will-Main (Hindi)

1. लेख्यकारिणी का नाम एवं पता:-

श्री वल्द

.., निवासी ग्राम- पोस्ट-, थाना-

...., जिला-, पेशा-, भारतीय-नागरिक ।

2. लेख्यधारिणी का नाम एवं पता:-

श्री वल्द

.., निवासी ग्राम- पोस्ट-, थाना-

...., जिला-, पेशा-, नागरिकता-
भारतीय ।

3. लेख्य का प्रकार :-

वसीयतनामा (Deed of Will)

4. लेख्य संपत्ति का विवरण :-

वह भू-खण्ड एवं भू-अंश जिसका कुल क्षेत्रफल कट्ठा (..... कट्ठा) है, जो मौजा-, राजस्व थाना-, सम्प्रति थाना-, जिला- पटना के थाना नं.- (.....), तौजी नं.- (.....), खाता नं.- (.....), सर्वे प्लॉट नं.(.....), में अवस्थित है। यह लेख्य संपत्ति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पटना मास्टर प्लान एवं अवर निबंधन कार्यालय पटना सदर क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है, जिसका वार्षिक लगान मो. 2 रूपये अलावे शेष बिहार सरकार को अंचलाधिकारी पटना सदर के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है:-

चौहद्दी

उत्तर :-

दक्षिण :-

पूरब :-

पश्चिम :-

संदर्भ

यह कि लेख्य संपत्ति कंडिका-4 में वर्णित है, जिसका वसीयत कंडिका-1 में वर्णित लेख्यकारिणी ने कंडिका-2 में वर्णित लेख्यधारी के पक्ष में सम्पादित करते हैं।

यह कि लेख्य संपत्ति लेख्यकारी की स्वयं अर्जित सम्पत्ति है जिसे लेख्यकारिणी ने निबंधित वसीका एवं निलामी द्वारा प्राप्त किया है जिसपर लेख्यकारिणी स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में हैं और जिसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार लेख्यकारिणी को प्राप्त है।

यह कि लेख्यधारी लेख्यकारिणी की सेवा-सुश्रुषा से प्रसन्न होकर लेख्य संपत्ति पर स्वत्व लेख्यधारी को अपने

जीवन काल के बाद देने का निर्णय लिया है, फलतः अपनी इच्छा की पूर्ति की दृष्टि से लेख्यकारिणी ने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी के बहकावे, धमकाये तथा अपने पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में शरीर की स्वस्थ अवस्था में भली-भांति सोंच समझकर तथा अपने रिश्तेदारों, कानूनी सलाहकारों तथा शुभ-चिंतकों से परामर्श कर अपना उक्त कंडिका-4 में वर्णित सम्पत्ति सभी उपलब्ध सुख-सुविधा के सामानों सहित लेख्यधारी के पक्ष में वसीयत करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूँगी तब तक वसीयत की संपत्ति का स्वयं स्वामिणी एवं दखलकार रहूँगी और मेरी मृत्यु के पश्चात् एक मात्र मालिक एवं दखलकार लेख्यधारी होंगी।

यह कि यह वसीयत मेरी अंतिम वसीयत है। इसके पहले मैंने लेख्य संपत्ति के निश्चय अन्य कोई वसीयत नहीं किया है।

यह कि मैं लेख्यधारी को एकजक्युटर नियुक्त करता हूँ जो मेरी मृत्यु के पश्चात् इस इच्छा पत्र को पोस्ट इत्यादि आवश्यकतानुसार करायेंगे।

यह वसीयतनामा लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। **गवाहगणः -**

1.

लेख्यकारिणी (वसीयतकर्ता)

का हस्ताक्षर

लेख्यकारिणी के निदेश पर प्रारूप तैयार किया।

2.

मुद्रित किया:-

(मनोज कुमार)

उद्योगीजी का चैम्बर

समाहरणालय अधिवक्ता संघ,

पटना।

(डा० अनिल कुमार सिन्हा “उद्योगी”)

अधिवक्ता,

“चैम्बर”, समाहरणालय अधिवक्ता संघ,

पटना।